30-6-2016

श्रीमान लोक अदालत न्यायालय आपके द्वारा के तहत उभय पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली आज पेश हुई। वादी मय वकील उपस्थित प्रतिवादी नं0 की ओर से श्री अभियंता PWD उपस्थित। उभय पक्षों को सुना गया। वादीगण का कथन है कि राजस्व खाता 1862 रकबा 0.49 है वादी गण इसमें खातेदारी व कब्जा काबिज की है, जिसमें प्रतिवादीगण रोड बनवाना चाहते हैं।

सहायक अभियंता का कथन है कि मौके पर सड़क का निर्माण हो चुका है। वादीगण की खातेदारी में सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की होने से प्रतिवादीगण को उसके बिना वैधानिक प्रक्रिया के सड़क का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को आदेश स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी की भूमि रकबा 1862 रकबा 0.49 है वाले ग्राम अभिलेख में किसी प्रकार की मजदूरी व मशीनरी एवं निर्माण नहीं करेंगे। पत्रावली फैसलशुदा होकर रूम से कमरे बंद दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी